

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2010—भार 5, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. 4979-इक्कीस-आ(प्रा.)-शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 10 अगस्त 2010 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, पढ़े जाएँ :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं	शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएँ
पृष्ठ	पंक्ति	
(1)	(2)	(3)
सशाधन	818	धारा 2 का पार्श्वशीर्ष
दिवालिया	818	31 वीं
ऐसे	818(3)	33 वीं (अंतिम)
तीन	818(4)	6 वीं
toe	818(8)	to

राजेश यादव, अपर सचिव.



भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्र. एफ 3-35-2007-तीन-जेल-1699.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 198 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्—

“199—जेल सर्किलों की स्थापना तथा जेलों का निरीक्षण।—राज्य में 11 जेल सर्किल होंगे अर्थात् जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, भोपाल, दतिया, ग्वालियर, रीवा, सतना, उज्जैन और इन्दौर। सरकार, तथापि जेल सर्किल की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगी। प्रत्येक जेल सर्किल में सम्मिलित की जाने वाली जेलें सरकार द्वारा निश्चित की जाएंगी।

जेल सर्किल मुख्यालय के जेल अधीक्षक, उनके सर्किल में, जेलों के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी होंगे। वे निरीक्षण रोस्टर के अनुसार जेल का निरीक्षण करते समय जेलों की तलाशी भी लेंगे। वे निरीक्षण रिपोर्ट जेल मुख्यालय और जेल विभाग को भेजेंगे।”

2. नियम-200 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

“200—प्रहरियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण।—जेल सर्किल मुख्यालय का जेल अधीक्षक प्रहरियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति करेगा। प्रहरियों का स्थानांतरण राज्य की स्थानांतरण नीति अनुसार किया जाएगा।”

3. नियम 211 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

“211—मुख्य प्रहरियों की पदोन्नति।—मुख्य प्रहरियों की पदोन्नति, अनुसूची-चार के अनुसार गठित पदोन्नति समिति द्वारा चयन किए जाने के बाद तथा मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 1974 के नियम-15 के अधीन ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रहरियों में से की जाएगी।”

F. No. 3-35-2007-III-Jail-1699.—In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Prisons Rules, 1968; namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. After rule 198, the following new rule shall be inserted, namely:—

“ 199—Establishment of Jail Circles and Inspection of Jails.—There will be 11 Jail Circles in the State, namely; Jabalpur, Seoni, Narsinghpur, Sagar, Bhopal, Datia, Gwalior, Rewa, Satna, Ujjain and Indore. The Government may, however, increase or decrease the number of Jail Circles. The jails to be included in each jail circle shall be determined by the Government. The Jail Superintendents of Jail Circle Headquarters shall be responsible for inspection of the jails in their Circles. They shall also search the jails while making inspection of the jail as per inspection roster. They shall send the inspection reports to the Jail Headquarter and the Jail Department ”.

2. For rule 200, the following rule shall be substituted, namely:—

“ 200—Appointment, Promotion and Transfer of Warders.—Jail Superintendent of the Jail Circle Headquarter shall make appointment and promotion of the Warders. Transfer of Warders shall be made as per State Transfer Policy ”.

3. For rule 211, the following rule shall be substituted, namely:—

“ 211—Promotion of Head Warders.—The promotion of Head Warders shall be made from Warders after selection by the Promotion Committee constituted as per Schedule-IV and according to seniority-cum-merit under Rule-15 of the Madhya Pradesh Class- III (Ministerial & Non Ministerial) Jail Service Recruitment Rules, 1974 ”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव,

